भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 816

जिसका उत्तर 26 जून, 2019 को दिया जाना है

कोयला कंपनियों द्वारा नदियों में प्रदूषण

816. श्री अनिल फिरोजिया:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) सहित कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की अनुषंगी कंपनियां नदियों में प्रदूषण फैला रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन/आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सीआईएल द्वारा नदियों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) तथा (ख) : नदियों, बहावों आदि में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों की खान और वाशरीज़ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पर्यावरणीय प्रभाव आकलन/पर्यावरणीय प्रबंधन आयोजना (ईआईए/ईएमपी) के अनुसार सुरक्षात्मक कदम उठाती हैं।

(ग) तथा (घ) : पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के निदेशों के अनुरूप, कोयला खनन परियोजनाएं ईआईए अध्ययन करती हैं और पर्यावरण प्रबंधन आयोजना (ईएमपी) तैयार करती हैं जिनकी जांच क्षेत्रीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) द्वारा की जाती है। ईएसी की सिफारिश के पश्चात पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कुछ शर्तों के साथ पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) प्रदान करता है।

(ड.) : पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) कोयला खनन के कारण नदियों के प्रदूषण को रोकने के उपायों के रूप में पर्यावरणीय मंजूरी की शर्तों के अनुपालन के साथ कार्यान्वित की जाती हैं।

*****